ELIGIBILITY

The following members will not be eligible to participate in the Election Process:

1. Members not eligible to contest the elections under Multi-State Cooperative (Amendment) Act, 2023 and the Rules framed thereunder or the Bye-laws of KRIBHCO.

2. Members who are in default of any payment to KRIBHCO and such payments have been due and payable for a period of more than one year as on 31.08.2024.

3. Members who have not sold the minimum quantities specified in Byelaw 21 of KRIBHCO during 2023-24 and 2024-25 upto 31.08.2024, i.e. 100 MT of Urea or equivalent value of fertilizer/products/ services of KRIBHCO.

4. Member has not attended three (3) consecutive General Meetings of KRIBHCO and such absence has not been condoned by the majority of the members present and voting.

5. Member or its nominee who is a member of the General Body/Representative General Body/Board/Managing Committee/Governing Council or any equivalent similar body of any Cooperative society which is in conflict or competition with KRIBHCO, as per its Bye law 21, or has declared itself as a competitor of KRIBHCO.

6. Member societies who have completed a period of less than 12 months as a member immediately preceding the date of election, shall not be eligible to contest the election.

7. For the purpose of exercising their votes or contesting elections, member societies will nominate their representative (Voter) who shall be Chairman/President/Chief Executive or duly authorized member of the Board and in case there is no Board, the Administrator or the member of the Board of Administrators by whatever name called.

8. However, representative of an elected body of the member society can only contest the elections.

पात्रता

चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को पात्र नहीं माना जाएगा:

1. वे सदस्य जो मल्टी-स्टेट सहकारी (संशोधन) अधिनियम, 2023 और इसके तहत बनाए गए नियमों या कृभको के उपविधियों के तहत चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं हैं।

2. वे सदस्य जिनके उपर कृभको का भुगतान बकाया है और ऐसे भुगतान 31.08.2024 के अनुसार एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं।

3. वे सदस्य जिन्होंने 2023-24 और 2024-25 के दौरान 31.08.2024 तक कृभको के उपविधि 21 में निर्दिष्ट न्यूनतम मात्रा नहीं बेची है । (अर्थात 100 मीट्रिक टन यूरिया या उसके समकक्ष मूल्य के कृभको के अन्य उर्वरक/उत्पाद/सेवा)

4. वे सदस्य जिन्होंने कृभको की तीन (3) लगातार आम बैठकों में भाग नहीं लिया है और ऐसी अनुपस्थिति को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

5. कृभको की उपविधि 21 के अनुसार, वे सदस्य या उनके नामांकित व्यक्ति जो किसी सहकारी समिति के सामान्य निकाय/प्रतिनिधि सामान्य निकाय/बोर्ड/प्रबंध समिति/शासी परिषद या किसी समान निकाय के सदस्य हैं, जो कृभको के साथ संघर्ष या प्रतिस्पर्धा में हैं या जिन्होंने अपने आपको कृभको का प्रतिस्पर्धी घोषित किया है।

6. सदस्य समितियाँ जिन्होंने चुनाव की तारीख से पूर्व तुरंत 12 महीने की अवधि पूरी नहीं की है, वे चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं होंगी।

7. मतदान करने या चुनाव में भाग लेने के लिए, सदस्य समितियाँ अपने प्रतिनिधि (मतदाता) को नामांकित करेंगी, जो अध्यक्ष/ मुख्य कार्यकारी या बोर्ड के द्वारा उचित रूप से अधिकृत सदस्य होंगे और यदि कोई बोर्ड नहीं है, तो प्रशासक या प्रशासकों के बोर्ड का सदस्य जो भी नाम से जाना जाता है ।

8. हालांकि, सदस्य समिति के निर्वाचित निकाय का प्रतिनिधि ही केवल चुनाव में भाग ले सकता है।